न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी :— यशपाल आहूजा आर.ए.एस.

अनवान :— राजस्व वाद संख्या 04/2016

1. मांगीलाल पुत्र श्री कूलराम जाति माली निवासी 6 जैड तहसील व जिला श्रीगंगानगर

— — प्रार्थी

—:: बनाम ::—

1. राजकुमारी पत्नी श्री जाति माली निवासी चक 6 जैड तहसील व जिला श्रीगंगानगर
2. रतनी पत्नी सुरजा राम जाति माली निवासी चक 6 जैड तहसील व जिला श्रीगंगानगर
3. मदन लाल
4. चिमना लाल
5. राम कुमार
6. जयदयाल
7. सत्यपाल
8. काशीराम
9. राजकुमार

(3 से 9) पिसरान सुरजा राम जाति माली निवासीगण चक 6 जैड तहसील व जिला श्रीगंगानगर

10. जसौदा पुत्री सुरजा राम जाति माली साकिन चक 6 जैड तहसील व जिला श्रीगंगानगर
11. विमला देवी पुत्री बुध राम जाति माली निवासी चक 6 जैड तहसील व जिला श्रीगंगानगर
12. अमरजीत सिंह पुत्र अवताल सिंह जाति अरोडा सिख निवासी 6 जैड तहसील व जिला श्रीगंगानगर
13. जगदीप सिंह पुत्र श्री गुरदीप सिंह जाति खत्री सिख निवासी 6 जैड तहसील व जिला श्रीगंगानगर
14. संजीव कुमार पुत्र रामप्रताप जाति चौधरी निवासी 6 जैड तहसील व जिला श्रीगंगानगर
15. स्टेट आफ राजस्थान जरिए तहसीलदार राजस्व श्रीगंगानगर
16. शंकर लाल पुत्र कालीराम जाति माली निवासी चक 6 जैड ए तहसील व जिला श्रीगंगानगर
17. भागीरथ पुत्र कालूराम जाति माली साकिलन चक 6 जैड ए तहसील व जिला श्रीगंगानगर
18. चुन्नी लाल पुत्र कालूराम जाति माली साकिलन चक 6 जैड ए तहसील व जिला श्रीगंगानगर
19. किशोर पुत्र श्री सुरजा राम जाति माली निवासी 6 जैड ए शालीमारबाग तहसील व जिला श्रीगंगानगर

— — अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251(क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बाबत रास्ता

—:: उपस्थित अभिभाषक ::—

1. श्री ओमप्रकाश बतरा अधिवक्ता — — प्रार्थीगण
2. श्री सुखदेव सिंह अधिवक्ता — — अप्रार्थी संख्या 18

—:: निर्णय ::—

दिनांक 25.01.2018

प्रार्थी ने जरिये अधिवक्ता उपरोक्त अनवान का प्रार्थना पत्र राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251 (क) के अन्तर्गत न्यायालय में प्रस्तुत किया जिसके तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि प्रार्थी के नाम चक 6 जैड तहसील व जिला श्रीगंगानगर राज. का मुरब्बा नम्बर 39 का किला नम्बर 22 प्रार्थी का है, प्रार्थी को अपने खेत में आने जाने के लिए कोई रास्ता नहीं है। अप्रार्थीगण के पास मुरब्बा नमबर 39 के किला नम्बर 23 हैं जिसमें प्रार्थी अपनी भूमि पर आ जा सकता है। पहले प्रार्थी इस रास्ता से आता जाता था मगर अब अप्रार्थी ने रास्ते से जाने से

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)

इन्कार कर दिया है। जिस कारण अब प्रार्थी के लिए कोई रास्ता नहीं है। जिसे अब प्रार्थी मंजूर करवाना चाहता है।

प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर चक 6 जैड तहसील व जिला श्रीगंगानगर का मुरब्बा नम्बर 39 के किला नम्बर 23 में रास्ता मंजूर करने का आदेश फरमाया जावे।

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थी को जरिए नोटिस तलब किया गया। दिनांक 22.01.2016 को जारी नोटिस अदम तामील आने के कारण वकील प्रार्थी द्वारा अप्रार्थीगण की तलबी हेतु नोटस अखबार में साया करवाने बाबत प्रार्थना पत्र पेश करने पर अप्रार्थीगण की तलबी हेतु नोटिस अखबार में साया करवाये गये। जिसकी पालना में वकील प्रार्थी द्वारा अखबार की प्रति दिनांक 05.02.2016 को न्यायालय में प्रस्तुत की जो शामिल पत्रावली है। अप्रार्थीगण की तलबी हेतु नोटिस अखबार दिनांक 2.01.2016 में साया करवाने के बाद भी उपस्थित नहीं आने पर दिनांक 29.02.2016 को अप्रार्थीगण के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गई। दिनांक 05.07.2016 को गांव महियांवाली में कैंप कोर्ट में रास्ता स्वीकृत किया गया व आदेश पृथक से लिखया जाकर सुनाया गया। दिनांक 18.07.2016 दको मांगीलाल की ओर से प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने पर पत्रावली को पुनः पेशी में लिया गया जिसमें चुन्नीलाल को पूर्व में पक्षकार नहीं बनाया गया। प्रार्थना पत्र में चुन्नीलाल को पक्षकार बनाया जाकर उसे सुने जाने का निवेदन किया गया। प्रार्थना पत्र पर सुनने के पश्चात् प्रार्थना पत्र सारहीन होने के कारण प्रार्थना पत्र को खारिज किया गया। दिनांक 21.07.2016 को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर एवं पत्रावली पेश होने पर दिनांक 05.07.2016 को रिव्यू करते हुए आदेश दिनांक 05.07.2016 को निरस्त किया गया। जमाबंदी के मुताबिक भागीरथ, किशोरीलाल, चुन्नीलाल, राजीव कुमार को पक्षकार बनाया गया। दिनांक 16.09.2016 को पत्रावली न्यायालय मान. राजस्व अपील प्राधिकारी, श्रीगंगानगर के पत्रांक 1297 दिनांक 27.07.2016 के द्वारा अपील संख्या 135/2016 में चाहे जाने पर पत्रावली मान. राजस्व अपील प्राधिकारी, श्रीगंगानगर न्यायालय में प्रेषित की गई। दिनांक 07.10.2016 को पत्रावली मान. राजस्व अपील प्राधिकारी, श्रीगंगानगर न्यायालय से अपील खारिज होकर प्राप्त हुई एवं अग्रिम कार्यवाही हेतु पुनः दर्ज रजिस्टर की गई। दिनांक 02.01.2017 को अप्रार्थी संख्या 17 व 19 के सम्मन लेने से इन्कार करने पर इनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। तहसीलदार (राजस्व) श्रीगंगानगर से रिपोर्ट का अवलोकन किया गया।

— :: आदेश ::—

विद्वान अधिवक्तागण की बहस सुनी गई व मनन किया गया। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन से पाया कि इस प्रकरण से सम्बन्धित अन्य प्रकरण न्यायालय में भी लम्बित है जिनमे आदेश पारित हो चुके हैं जिनकी प्रकृति, चाहा गया अनुतोष व भूमि एक ही है। अतः हस्तगत प्रकरण से सम्बन्धित प्रकरण अन्य न्यायालय में विचाराधीन एवम् माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर न्यायालय से प्रकरण की यथास्थिति बनाये रखने के आदेश होने के कारण हस्तगत प्रकरण पर विचारण किया जाना न्यायोचित नहीं है। अतः प्रकरण इसी स्टेज पर खारिज किया जाता है।

पत्रावली निर्णयशुमार होकर नम्बर से कम की जाकर बाद तकलीम दाखिल दफतर हो।

यह आदेश आज दिनांक 25.01.2018 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीगंगानगर (राज.)

(यशपाल आहूजा)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर